(3)

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 12 / 2023

पूर्णराम पुत्र श्री प्रेमराम जाति जाट निवासी चक 6 बी.एच.एम. धोरेवाला, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।

अपीलांट

बनाम

1. तहसीलदार (राजस्व), पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ ।

असल रेस्पोडेंट

2. प्रेमराम पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी चक 6 बी.एच.एम. धोरेवाला, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
3. प्रहलाद पुत्र श्री प्रेमराम जाति जाट निवासी चक 6 बी.एच.एम. धोरेवाला, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ ।

तरतीबी रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश क्रमांक रीडर / 2023 / 273 दिनांक 03.07.2023 कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा, आवेदन संख्या 183 दिनांक 07.12.2021 सरकारी रास्ता खुलवाने बाबत, जिसकी रूह से अपीलाण्ट की कृषि भूमि चक 6 बी.एच.एम. के पत्थर नंबर 108 / 381 के किला नंबर 10, 11, 20, 21 में पक्का खाला के साथ कथित रूप से रास्ता को खुलवाये जाने का आदेश पारित किया गया। बमुराद मन्सूखी उक्त निर्णय व डिक्री व स्वीकार किए जाने अपील।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

उपस्थितः– 1. श्री दलीप सारस्वत अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।

–:निर्णयः–

दिनांकः –14/3/2024

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट व रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 पुत्रगण व पिता है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेट संख्या 2 व 3 की खातेदारी कृषि भूमि चक 6 बीएचएम तहसील पीलीबंगा के खाता संख्या 112 / 51 के पत्थर नंबर 108 / 381 (45) के किला नंबर 1/2/0.202, 2, 9, 10/2/0.202, 11/2/0.202, 12, 19, 20/2/0.202, 21/2/0.202, 22, पत्थर नंबर 108/382 (70) के किला नंबर 3, 14/2 कुल 2.6545 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। चक 6 बीएचएम के पत्थर नंबर 108 / 381 के किला नंबर 1, 10, 11, 20, 21 में स्वीकृत शुदा पक्का खाला बना हुआ है जिसके साथ किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है व ना ही इस जगह पर कभी रास्ता चला है लेकिन अपीलाण्ट के पड़ोसी काश्तकार हरी सिंह पुत्र रूपराम द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान में मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त किला नंबर 1, 10, 11, 20, 21 में स्वीकृत शुदा खाला के साथ कथित रूप से रास्ता होना बयान करते हुए [illegible] किया। तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा द्वारा उक्त मिथ्या प्रार्थना पत्र पर [illegible] की जांच किये बिना कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से चक 6 [illegible] के किला नंबर 1, 10, 11, 20, 21 में चालू खाले के साथ [illegible] मानकर उसे खुलवाने का आदेश क्रमांक रीडर / 2023 / 273 दिनांक 03.07.202[illegible] पारित किया गया तथा रास्ता को पूर्ण रूप से खुलवाया जाना सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया गया। अपीलाण्ट की उक्त वर्णित कृषि भूमि के पत्थर नंबर 108 / 381 के किला नंबर 1, 10, 11, 20, 21 में चल रहे खाला के साथ साथ कभी भी कोई रास्ता नहीं चला है व ना ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.09 10:12:56 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

(5)

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

मंजूर शुदा है। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2023 से पीड़ित होकर अपीलाण्ट निम्नलिखित आधारों पर यह अपील प्रस्तुत की है।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा द्वारा पारित आदेश क्रमांक रीडर/2023/273 दिनांक 03.07.2023 कतई गलत, एकपक्षीय, विधि विरूद्ध प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत व मौका की स्थिति के विपरीत पारित किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा अपने आदेश दिनांक 03.07.2023 के अन्तर्गत अपीलाण्ट की कृषि भूमि के पत्थर नंबर 108 /381 के किला नंबर 10, 11, 20, 21 में चालू खाला के साथ साथ रास्ता मंजूर शुदा होना मानकर उसे खुलवाने का आदेश दिया गया है जबकि किला नंबर 10, 11, 20, 21 में विद्यमान व चल रहे खाला के साथ कभी कोई रास्ता ना तो चला है व ना ही मंजूर शुदा है। तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा मौका की जांच किये बिना कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से रास्ता खुलवाने का आदेश दिया गया है। एक ही पत्थर व एक ही किला नंबर में खाला व रास्ता दोनो मंजूर नहीं हो सकते व ना ही चल सकते है लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज कर रेस्पोडेंट संख्या 1 ने कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से आक्षेपित आदेश पारित किया है। पत्थर नंबर 108 / 381 के किला नंबर 10, 11, 20, 21 में खाला के साथ अपीलाण्ट का किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है व ना ही इस खाला के साथ रास्ता कभी चला है व ना ही राजस्व रिकार्ड में मंजूर है तथा ना ही इस जगह पर रास्ता की कोई आवश्यकता ही है । यह कि रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 का हित अपीलाण्ट के समान है लेकिन उनके आज उपस्थित नहीं होने से उन्हें तरतीबी रेस्पोडेंट बनाया गया है वे चाहे तो उपस्थित आकर अपीलाण्ट बन सकते है जिसमें अपीलाण्ट को कोई आपत्ति नहीं होगी। अतः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2023 अपास्त फरमाया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट सं0 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने उपस्थिति दी।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि अपीलाधीन भूमि में गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मुताबिक निशानदेही के उक्त रास्ता में मौके पर पक्का खाला (सिंचाई बाबत) बना हुआ है। पक्का खाला के अलावा रास्ता की शेष जगह पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। निशानदेही के समय अपीलांट सूचना दिये जाने के बावजूद मौके पर नहीं पहुंचे। तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा द्वारा पारित आदेश विधि अनुसार है, इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2023 अपास्त फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन भूमि में गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मुताबिक निशानदेही के उक्त रास्ता में मौके पर पक्का खाला (सिंचाई बाबत) बना हुआ है। पक्का खाला के अलावा रास्ता की शेष जगह पर रास्ता स्वीकृत किया गया है। निशानदेही के समय अपीलांट सूचना दिये जाने के बावजूद मौके पर नहीं पहुंचे। उक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.09 10:12:56 IST
Reason: SelfAttested

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़